समाहरणालय, दरभंगा।
(भू–अर्जन प्रशाखा)

–: आदेश :–

परियोजना–दरभंगा जिला अन्तर्गत कमतौल जोगियारा पथ में खिरोई नदी पर पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु भू–अर्जन अन्तर्गत अर्जन की जाने वाली भूमि का नई भू–अर्जन अधिनियम 2013 के आलोक में सामाजिक प्रभाव आक्कलन का ए0एन0सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा प्रतिवेदन भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा–7 के तहत गठित विशेषज्ञ समूह का अधिसूचना ज्ञापांक–916 दिनांक–30.12.2017 के आलोक में (सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का) विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के धारा–7 के उपधारा–6 के अधीन निर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया जाना है। विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत/ग्राम कचहरी एवं निर्दिष्ट स्थल में प्रकाशित करेंगे तथा समुचित सरकार के बेवसाईट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक ....118..../भू–अ0, दिनांक ....9/3/19....

प्रतिलिपि :– संबंधित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अचंल अधिकारी, जाले को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि संबंधित मुखिया, सरपंच एवं सामाजिक वैज्ञानिक को इस अधिसूचना की प्रति तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

विशेषज्ञ समूह के कार्यवाही का प्रतिवेदन :–

वर्त्तमान परियोजना – दरभंगा जिला अन्तर्गत कमतौल–जोगियारा पथ में खिरोई नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल एवं सम्पर्क पथ निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराया गया, जिनके द्वारा परियोजना हेतु वाँछित भूमि के अर्जन का अधियाचना किया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT-2013) के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

उपरोक्त भूमि अर्जन के अधियाचना के क्रम में अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के तहत समाहर्त्ता, दरभंगा के अनुरोध पर आद्री, पटना के द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया जिसका विस्तृत प्रतिवेदन उक्त संस्थान के द्वारा समाहर्त्ता, दरभंगा को जुलाई 2017 में समर्पित किया गया। संस्थान के उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन करने एवं उसका स्थल पर सत्यापन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्थान के द्वारा अर्जनाधीन सभी मौजें का स्थल भ्रमण किया गया, क्षेत्र के लोगों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की बातों को समुचित रूप से सुना गया एवं इस सम्पूर्ण क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अर्जनाधीन भूमि निम्नांकित 02 मौजें में स्थित है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	मौजें का नाम
1.	जाले	मुरैठा
2.	जाले	ढ़ढ़िया

परियोजना की आवश्यकता :–

वर्तमान में खिरोई नदी पर निर्मित पुल एवं पहुँच पथ निर्माण परियोजना के फलस्वरूप आवागमन के साधनों में अप्रत्यासित वृद्धि हुई है। यह परियोजना सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बन जाने से नदी के दोनों ओर के कृषकों को कृषि संबंधी कार्यों के निष्पादन में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा तथा जीवन एवं सम्पति के खतरे का न्यूनीकरण होगा। यह परियोजना दरभंगा जिलान्तर्गत जाले अंचल के क्रमशः मुरैठा एवं ढ़ढ़िया ग्राम राजस्व थाना नं0–21 एवं 39 कुल 07 भू–धारियों पर आधारित है। कुल प्रस्तावित अर्जनाधीन रकवा– 0.9846 एकड़ है। इस पुल के बनने से कृषकों को अपने उत्पाद के विपणन में सुविधा हुई है।

मूल्यांकन का निष्कर्ष :–

1. परियोजना के लोक प्रयोजन का मूल्यांकन उचित रूप से किया गया तथा पाया गया कि यह आमजनों के व्यापक हित में है। इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्र के विकास यात्रा को नया आयाम मिला है।

2. इस परियोजना में न्यूनतम विस्थापन के विकल्प को चुना गया।
3. पूरे परियोजना के लिए अर्जनाधीन भूमि का रकवा 0.9846 एकड़ होता है।
4. इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीव्रता कम है।
5. इस परियोजना का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में है। प्रत्येक प्रभावों में सकारात्मक ज्यादा है तथा नकारात्मक कम है।
6. भू–अधिग्रंहण के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए।
7. परियोजना के परोक्ष प्रभावों में सकारात्मक प्रभाव ज्यादा है तथा नकारात्मक प्रभाव कम है।
8. क्षेत्र के ग्रामवासी इस पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण से काफी आशान्वित एवं उत्साहित है। यह सड़क उनके क्षेत्र के विकास यथा–रोजगार/कृषि/शिक्षा/स्वास्थ्य/बिजली आदि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

<u>अनुशंसा :–</u>

परियोजना दरभंगा जिलान्तर्गत कमतौल जोगियारा पथ में खिरोई नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण के लोक प्रयोजनार्थ हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर किये गये सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात् विशेषज्ञ समूह की राय है कि इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

अतएव उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों /परिवारो को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुए भू–अर्जन किया जा सकता है।

25.6.1

अध्यक्ष–सह–संयोजक,

विशेषज्ञ समूह।